

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

श्री सुभाषी पामर शर्मा नाम की श्री सुभाषी पामर शर्मा नाम की  
 क्रमांक 021 R-11 जमावदी नं. 17 तारीख 20/05/19

क्रमांक

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुक्म की तागील  
 में जारी हुए

19/08/19 इजराफ  
 समन प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर  
 विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 16/9/19  
 को पेश हो।  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 सहायक कलक्टर, करेड़ा

30/05

16/9/19 समय पत्र उपस्थित पीठस्थ अधिकारी एनकीप  
 कार्य से बन्दर है। पत्रकार पर है/पत्रकार है  
 अत्र पत्रावली दिनांक 18/11/19 को पेश हो।  
 उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

18/11/19 पत्रावली पेश हुई। उपकरणों से  
 तहसील सुदूर करेड़ा की ओर से पत्रावली  
 हस्ताक्षर नं. डीवी की पापना का जम 14/1  
 की प्रती पेश की। जो 20/05/19 की  
 गड्ड। जमावदी अनुसार इ० नं० 6645  
 दिनांक 25/9/19 से राजस्व रेकार्ड में  
 अमल परामद विभा जा चुका है।  
 पत्रावली में अवकाश वापस। हरि शर्मा  
 नही है। पत्रावली फसल शुमा  
 होकर नम्बर से काम की जावे।

18/11/19  
 उपखण्ड अधिकारी प्रबल  
 सहायक कलक्टर करेड़ा